



कार्यालय: प्रधानाचार्य राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।  
पत्रांक-मे0का0अ0 / विज्ञप्ति / 2023 / 2051

दिनांक 11 अक्टूबर 2023

### विज्ञप्ति

राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सम्बद्ध चिकित्सालय दर्शन नगर परिसर, में 50 बेडड ट्रामा सेन्टर लेवल-2 (इमरजेंसी मेडिसिन 60 बेडड विभागायुक्त) भवन के निर्माण हेतु चिन्हित स्थल पर निर्माण कार्य में बाधक वृक्षों के पातन हेतु 17 वृक्षों की नीलामी दिनांक 19.10.2023 को अपराह्न 12:00 बजे प्रधानाचार्य कार्यालय में की जायेगी। उक्त नीलामी में प्रतिभाग करने वाले समस्त बोलीदाताओं को अवगत कराना है कि चिकित्सा महाविद्यालय, के वेबसाइट पर उपलब्ध नीलामी सम्बंधी वन विभाग द्वारा निर्दिष्ट समस्त नियम एवं शर्तों का अवलोकन करने के उपरान्त ही निर्धारित तिथि एवं समय पर नीलामी में भाग लेने का कष्ट करें। विस्तृत जानकारी कालेज की वेबसाइट [www.asmcayodhya.ac.in](http://www.asmcayodhya.ac.in) पर उपलब्ध है।

प्रधानाचार्य

राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय  
अयोध्या।

Medical Superintendent

A.S.M.C. Associated Hospital, Ayodhya



कार्यालय: प्रधानाचार्य राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।  
पत्रांक-मे0का0अ0/नीलामी/2023/ 2049 दिनांक: 11 अक्टूबर 2023

### नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या सम्बद्ध चिकित्सालय दर्शन नगर अयोध्या परिसर में 50 बेडड ट्रामा सेन्टर लेवल-2 (इमरजेंसी मेडिसिन 60 बेडड विभागायुक्त ) भवन के निर्माण हेतु चिन्हित स्थल पर निर्माण कार्य में बाधक वृक्षों के पातन हेतु 17 वृक्षों की नीलामी दिनांक 19.10.2023 को दोपहर 12:00 बजे राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गंजा, अयोध्या परिसर में नीलामी समिति द्वारा की जायेगी। वन विभाग द्वारा किये गये उक्त वृक्षों के मूल्यांकन के आधार पर न्यूनतम विक्रय मूल्य रु0 12,122.00/- है। विस्तृत जानकारी कालेज की वेबसाइट [www.asmcayodhya.ac.in](http://www.asmcayodhya.ac.in) पर उपलब्ध है। उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 (यथा संशोधित वर्ष 2000) के अर्न्तगत निर्धारित रु. 100.00/- प्रति वृक्ष की दर से पातन अनुज्ञा शुल्क एवं रु. 76.00/- प्रति टन की दर से अभिवाहन शुल्क तथा रु. 75.00/- प्रति टन रजिस्ट्रेशन शुल्क वन विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा। नीलामी में अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीदाता के पक्ष में उक्त समस्त वृक्षों की बिक्री कर दी जायेगी।


क्र0	वृक्षों के नाम	वृक्षों की संख्या
1	सेमल	01
2	महुआ	02
3	शीशम	01
5	आम	13
	कुल वृक्ष	17

**बोली बोलने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा-**

1. बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली जितने धनराशि में समाप्त होगी, उसे पूरा धन तीन कार्यदिवसों के अंदर कार्यालय में नगद रूप में जमा करना होगा।
2. नीलामी हेतु उर्पवर्णित निष्प्रयोज्य सामग्री जहाँ है, जैसी है, जिस स्थिति में है, के आधार पर नीलामी की जायेगी। नीलामी से पूर्व सामग्री की स्थिति के सम्बन्ध में पूर्ण संतुष्टि कर लेनी चाहिए बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
3. नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होते ही उच्चतम बोलीदाता को बोली की 10 प्रतिशत धनराशि (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) धरोहर धनराशि सम्मिलित करते हुए कैश के माध्यम से तत्काल कैशियर के पास जमा करनी होगी।
4. बिना धरोहर धनराशि जमा किये कोई भी व्यक्ति/फर्म नीलामी में भाग नहीं ले सकेगा। फर्म अथवा सक्षम बोलीदाता द्वारा अधिकृत व्यक्ति मूल पहचान पत्र प्रस्तुत कर ही नीलामी में भाग ले सकेंगे। फर्म की दशा में फर्म का पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा पावर आफ एटार्नी संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। अन्य कोई भी व्यक्ति नीलामी परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
5. नीलामी समिति को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये नीलामी प्रक्रिया को किसी भी समय निरस्त कर सकेंगे।

6. नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ (समय 12 बजे दोपहर) हो जाने के पश्चात किसी भी फर्म/सक्षम व्यक्ति को नीलामी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।
7. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी विवादित प्रकरण का न्याय क्षेत्र अयोध्या होगा।
8. परिसर में रखे गये या विज्ञापित किये गये सामान की नीलामी संचालित करने वाला अधिकारी बिना कारण बताये नीलामी को रोकने के लिए अधिकृत होगा।

  
Medical Superintendent  
A.S.M.C. Associated Hospital, Ayodhya

  
प्रधानाचार्य  
राजर्षि दशरथ स्वामी आर्य समाज चिकित्सालय  
Autonomous State Medical College  
Society, Ayodhya  
अयोध्या।